इलेक्शन टुडे

==

दिनांक - 14 नवम्बर 2018 अंक – 35

==

विधानसभा आम चुनाव -2018

आयोग की विधानसभा चुनाव तैयारियों की दो दिवसीय समीक्षा सम्पन्न

भोपाल : बुधवार, 14 नवम्बर, 2018। भारत निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश विधान सभा चुनाव 2018 की व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए प्रदेश के दो दिवसीय दौरे के अंतिम दिन मिन्टोहॉल भोपाल में 7 संभागों के 33 जिलों में चुनाव की तैयारियों की गहन समीक्षा की।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ओ.पी.रावत्, आयुक्त द्वय श्री सुनील अरोरा तथा श्री अशोक लवासा ने विधानसभा चुनाव में स्वीप गतिविधियों, मतदान प्रतिशत, सुरक्षा व्यवस्थाओं, जांच दलों की कार्यवाही, और मतगणना के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिए। कल इंदौर में उज्जैन, नर्मदापुरम और इंदौर संभाग के 18 जिलों में विधानसभा निर्वाचन की गतिविधियों की आयोग ने समीक्षा की थी। भोपाल मिन्टो-हॉल में आयोजित समीक्षा बैठक के प्रथम सत्र में 5 संभागों की चुनाव गतिविधियों की समीक्षा की गई दूसरे सत्र मे भोपाल और सागर संभाग की समीक्षा हुई।आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, सुगम्य, विश्वनीय नैतिक मतदान और पारदर्शी चुनाव कराने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त डॉ. संदीप सक्सेना, श्री सुदीप जैन तथा श्री चन्द्रभूषण कुमार, डायरेक्टर जनरल श्री दिलीप शर्मा तथा श्री धीरेन्द्र ओझा, प्रिंसिपल सेकेट्री श्री अनुज जयपुरिया, अपर महानिदेशक सुश्री शैफाली शरण और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कांताराव, उपस्थित रहे।

निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली एवं मतदान केन्द्रों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं, ईव्हीएम तथा व्ही.व्ही.पेट, स्वीप अभियान तथा विभिन्न प्रशिक्षण, निर्वाचन व्यय निगरानी, आदर्श आचरण संहिता का पालन, अवैधानिक गतिविधियों पर रोक , दिव्यांग मतदाता के लिए मतदान केंद्र पर सुविधा ,कानून-व्यवस्था तथा सुरक्षा प्रबंधों की जिलेवार समीक्षा की।

बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री रावत आयुक्त द्वय श्री अरोरा और श्री लवासा ने मतदान एप्प, क्यूलेस मतदान एप्प, सुगम्य पोर्टल , मतदाता जागरूकता वीडियो सीडी और मतदान गाइड बुक का विमोचन किया।

==

विधानसभा आम चुनाव -2018

सम्पत्ति विरूपण के 17 लाख 20 हजार 81 प्रकरणों पर कार्यवाही

भोपाल : बुधवार, 14 नवम्बर, 2018। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद 6 अक्टूबर से 13 नवम्बर 2018 तक प्रदेश में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिये 41 हजार 511 गैर जमानती वारंट तामील करवाये गये है, साथ ही 4 हजार 120 अवैध हथियार जब्त किये गये है और 2 लाख 61 हजार 452 शस्त्र थानों में जमा कराये गये है।

सम्पत्ति विरूपण के अन्तर्गत 17 लाख 73 हजार 941 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है। जिनमें से 17 लाख 20 हजार 81 प्रकरणों में कार्यवाही की गयी। शासकीय सम्पत्ति विरूपण में 13 लाख 31 हजार 818 प्रकरण पंजीबद्ध कर 12 लाख 97 हजार 943 प्रकरणों में कार्यवाही की गई। निजी सम्पत्ति विरूपण के अंतर्गत 4 लाख 42 हजार 123 प्रकरण पंजीबद्ध कर 4 लाख 22 हजार 138 प्रकरणों में कार्यवाही की गई। वाहनों के दुरूपयोग पर 11 हजार 911 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।

==

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने किया विमोचन

भोपाल : बुधवार, 14 नवम्बर, 2018। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ओ.पी.रावत तथा आयुक्त द्वय श्री सुनील अरोरा और श्री अशोक लवाना ने आज समीक्षा बैठक के दौरान मिन्टो हॉल भोपाल में कलेक्टर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल डॉ. सुदाम खाडे द्वारा स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत मतदाता जागरूकता हेतु निर्मित मतदान गाईड कैलेंडर, फोल्डर तथा सीडी का विमोचन किया । इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे ।

==

विधानसभा आम चुनाव -2018

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मतदाताओं की सुविधा के लिये ऑडिओ, वीडियो सी.डी. मोबाईल एप्प और मार्गदर्शिका का विमोचन किया

भोपाल : बुधवार, 14 नवम्बर, 2018। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ओ.पी. रावत, आयुक्त द्वय श्री सुनील अरोरा और श्री अशोक लवासा ने विधानसभा चुनाव में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और मतदान की सुविधा के लिये मतदाता जागरूकता ऑडियो, वीडियो, सी.डी. मतदाता मार्गदर्शिका (वोटर गाइड), क्यूलेस मोबाइल एप्प, मत प्रतिशत मोबाइल एवं दिव्यांगों की सुविधा के लिये सुगम्य पोर्टल एप्प का विमोचन किया।

मतदाता जागरूकता हेतु ऑडियो एवं वीडियो सीडी

विधानसभा निर्वाचन-2018 में शत-प्रतिशत मतदान के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता हेतु ऑडियो डी.व्ही.डी. जारी की गई है। वीडियो डी.व्ही.डी. में विभिन्न प्रकार की मतदाता जागरूकता से संबंधित लघु फिल्मों का संकलन किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं जिलों द्वारा तैयार किये गये कुल 48 वीडियो इस डी.व्ही.डी. में संकलित किये गये हैं। उक्त डी.व्ही.डी. में स्टेट स्वीप ऑइकॉन श्रीमती दिव्यांका त्रिपाठी दाहिया (टी.व्ही. धारावाहिक' ये है मोहब्बतें' की ईशीमाँ) एवं श्रीमती शुभांगी अत्रे (टी.व्ही. धारावाहिक 'भाभीजी घर पर हैं' की अंगूरी भाभी) की वोट अपील शामिल की गयी है। साथ ही बाल कलाकार कुमारी माही सोनी (टी.व्ही. धारावाहिक 'परमावतार

श्रीकृष्ण' की राधा) द्वारा मतदाता जागरूकता के लिये की गई अपील को शामिल किया गया है। यह वीडियो विभिन्न सिनेमाघरों, केबल नेटवर्क, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड एवं अन्य स्थानों पर लगाये गये टी.व्ही. के माध्यम से दिखाये जायेंगे, जिससे मतदाता 28 नवम्बर को मतदान करने हेतु प्रेरित होंगे।

इसी प्रकार 52 जिंगल्स, कॉलर ट्यून एवं गीतों की एक ऑडियो सीडी भी जारी की गई है, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा तैयार किये गये जिंगल्स एवं विभिन्न जिलों के स्थानीय गायकों के मतदाता जागरूकता से संबंधित गीतों को संकलित किया गया है। यह दोनों सीडी सभी जिलों को उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे इन सीडी में संकलित वीडियो एवं गीतों के माध्यम से मतदाताओं को अपने अधिकार के प्रति जागरूक किया जा सके।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश "मतदाता मार्गदर्शिका" (वोटर गाइड)

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिये प्रदेश के प्रत्येक परिवार के लिए मतदाता मार्गदर्शिका (वोटर गाइड) तैयार की गई है। यह गाइड जो निर्वाचन से पूर्व मध्यप्रदेश के लगभग 1.25 करोड़ घरों में रहने वाले समस्त परिवारों को घर-घर जाकर बीएलओ (बूथ लेवर ऑफिसर) के माध्यम से वितरित की जायेगी।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 14 नवंबर 2018 को इस वोटर गाइड का विमोचन किया गया। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप) की दृष्टि से मतदाताओं को जागरूक करने और निर्वाचन प्रक्रिया से भलीभाँति अवगत कराने हेतु "मतदाता मार्गदर्शिका" (वोटर गाइड) का वितरण किया जायेगा। इस मार्गदर्शिका में "मतदान कैसे करें" तथा मतदान हेतु "अनुमोदित पहचान अभिलेख" क्या होंगे, इस संबंध में जानकारी दी गयी है। साथ ही ई.वी.एम. और वीवीपैट का उपयोग करते हुए अपना वोट देने की प्रक्रिया भी बताई गई है। मतदान केन्द्र के आस-पास एवं मतदान के दौरान "क्या करें क्या नहीं करें" के संबंध में भी मतदाताओं को बताया गया है। मार्गदर्शिका में मतदान केन्द्र पर उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की जानकारी भी है। इस मार्गदर्शिका में मतदान की जानकारी हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट एवं हेल्पलाईन के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण नम्बर एवं पोर्टल की जानकारी भी है। मतदाता सूची में

अपना नाम ढूंढने तथा अपना पोलिंग स्टेशन पहचानने के लिए भी मतदाता को शिक्षित करने हेतु मतदाता मार्गदर्शिका में वेबसाइट एवं पोर्टल की जानकारी है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश "क्यूलैस पोल" मोबाईल एप

विधानसभा निर्वाचन-2018 में मतदाताओं को मतदान हेतु बिना कतार के मतदान सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा क्यूलैस मोबाईल् एप तैयार किया गया है। इस मोबाईल एप की सहायता से प्रत्येक मतदाता मत डालने हेतु केन्द्र पर जाने के पूर्व टोकन प्राप्त कर सकता है तथा अपनी बारी आने पर मतदान हेतु मतदान केन्द्र में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार किसी भी मतदाता को कतार में लगने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस एप का उपयोग मतदान केन्द्र के बाहर स्थित मतदाता सहायता बूथ पर उपस्थित बी.एल.ओ. के द्वारा किया जायेगा। मतदाता बी.एल.ओ. के पास पहुँचकर अपना एपिक नम्बर अथवा मतदाता सूची में अपने सरल क्रमांक को बतायेगा। बी.एल.ओ. सरल क्रमांक की सहायता से मतदाता टोकन नम्बर जनरेट कर प्रदान करेगा। अपना टोकन नम्बर प्राप्त कर मतदाता मतदान केन्द्र के समीप बनाये गये प्रतीक्षा कक्ष में बैठकर अपनी बारी का इन्तजार करेंगे। मतदान केन्द्र पर मतदाता की बारी आने पर उन्हें मतदान हेतु बुलाया जायेगा तथा मतदाता मतदान केन्द्र में जाकर मतदान कर सकेंगे। इस प्रकार मतदान को सुगम एवं सरल बनाने में उक्त एप अत्यन्त उपयोगी होगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश "मत प्रतिशत मोबाईल" एप

विधानसभा निर्वाचन-2018 में मतदान के दिन मतदान केन्द्रों पर होने वाले मतदान प्रतिशत की जानकारी आमजन को उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मत प्रतिशत मोबाईल एप तैयार किया गया है। इस एप का उपयोग पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक-1 एवं सेक्टर ऑफिसर द्वारा किया जायेगा। एप के उपयोग हेतु संबंधित को अपने एंड्राइड फोन के प्ले स्टोर में जाकर एप डाउनलोड करना होगा। एप डाउनलोड हो जाने के पश्चात संबंधित उपयोगकर्ता द्वारा अपने मोबाईल नम्बर से लॉगिन किया जा सकेगा। इस कार्य के लिये प्रत्येक पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी क्रमांक-1

के मोबाईल नम्बर की मेपिंग उनके मदान केन्द्र से की जायेगी। इस प्रकार प्रत्येक मतदान केन्द्र हेतु पंजीकृत मोबाईल नम्बर से ही इस एप का उपयोग किया जा सकेगा।

मतदान दिवस को संबंधित पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक-1 अथवा सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मतदान प्रारंभ होने के पश्चात प्रत्येक घंटे अर्थात प्रारंभ से 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे एवं अंतिम रूप से अपने मतदान केन्द्रों पर मतदान करने वाले पुरुष एवं महिला मतदाता की संख्यात्मक जानकारी दर्ज कर भेजी जायेगी, जो भोपाल मुख्यालय स्थित सर्वर में एकत्रित होगी तथा जिसे प्रमुख स्थानों पर मतदान प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया जायेगा।

सामान्य तौर पर मोबाईल एप ऑनलाईन मोड में कार्य करेगी। किन्तु इन्टरनेट नेटवर्क नहीं होने पर भी एसएमएस सर्विस के माध्यम से ऑफलाईन मोड में मोबाईल एप पर दर्ज डाटा भोपाल स्थित सर्वर में एकत्रित किया जा सकेगा। इस प्रकार सभी मतदान केन्द्रों से मतदान की अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सकेगी। आमजन को समय-समय पर मतदान प्रतिशत से अवगत कराने में यह मोबाईल एप अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश "सुगम्य पोर्टल" एवं "मोबाईल एप"

विधानसभा निर्वाचन-2018 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दिव्यांगजनों के सुगम मतदान हेतु 'घर से घर तक' सुविधा प्रदान करने तथा मतदान करने में आवश्यक सहायता प्रदान करने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा "सुगम्य वेब" पोर्टल एवं मोबाईल एप तैयार किया गया है। एप में ऐसे सभी दिव्यांगजनों काह पंजीयन किया जायेगा, जिन्हें मदद की आवश्यकता है।

मोबाईल एप में पंजीयन करना अत्यंत सरल है। एप के माध्यम से दिव्यांगजन आवश्यक मदद जैसे वाहन सुविधा, सहायक, आवश्यक सामग्री आदि की सहायता हेतु पंजीयन कर सकते हैं। सुगम्य पोर्टल के माध्यम से पंजीयन होने पर दिव्यांगजनों को कतार में लगे बिना मतदान की सुविधा प्रदान की जायेगी। दिव्यांगजन स्वयंसेवी एवं वाहन चालक के रूप में अपने परिवार के किसी सदस्य अथवा स्वयंसेवी व्यक्ति का चयन कर सकते हैं। इसके साथ ही ऐसे स्वयंसेवी जो दिव्यांगजनों को मतदान में मदद करना चाहते हैं, वे भी अपना पंजीयन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वयं भी एन.सी.सी./एन.एस.एस./नेहरू युवा केन्द्र/रेडक्रास/अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं का पंजीयन कर सकते हैं। सहायता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति अथवा

संस्था का किसी भी राजनैतिक दल से न तो कोई संबंध होगा एवं न ही ऐसे व्यक्ति किसी भी राजनैतिक गतिविधि में सम्मिलित होंगे।

दिव्यांगजनों को वाहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ऐसे आमजन जो जनसेवा हेतु अपनी भागीदारी दर्ज करना चाहते हैं, वे अपने वाहन एवं स्वयं का पंजीयन करा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो दिव्यांगजनों को सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सामग्री प्रदान करना चाहते हैं, वह सामग्री का पंजीयन करा सकते हैं। सुगम्य पोर्टल एवं मोबाईल एप में पंजीयन होने पर दिव्यांगजनों को

निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान की जायेगी:

1. दिव्यांगजन को बिना कतार में लगे मतदान की सुविधा होगी
2. दिव्यांगजन को वाहन मतदान केन्द्र के मुख्य द्वार तक ले जाने की सुविधा होगी।
3. दिव्यांगजन की सहायता करने वाले सहायक एवं वाहन चालक का नाम यदि उस मतदान केन्द्र में है, तो उन्हें भी उपरोक्तानुसार सुविधा प्रदान की जायेगी।
4. एक सहायक केवल एक दिव्यांगजन की ही सहायता कर सकेगा, किन्तु वाहन से एक से अधिक दिव्यांगजनों को मतदान केन्द्र तक पहुँचाया जा सकेगा।
5. ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें वाहन अथवा सहायक की आवश्यकता नहीं है तथा स्वयं से मतदान करना चाहते हैं, उन्हें केवल पास प्राप्त करने की सुविधा होगी।

उपरोक्तानुसार सुगम्य पोर्टल एवं मोबाईल एप दिव्यांगजनों को सुगमता पूर्वक मतदान करने में अत्यंत उपयोगी एवं सहायक होगा।

विधानसभा निर्वाचन 2018- मतदाता जागरूकता कार्यक्रम (स्वीप) के अंतर्गत जिले में वृहद स्तर पर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का चरणबद्ध आयोजन किया गया :-

- शहरी क्षेत्र की महिला मतदाताओं के लिये पिंक सप्ताह का आयोजन ।
- दिव्यांग मतदाताओं के लिये सुगम सप्ताह का आयोजन।

- युवा एवं आम मतदाताओं के लिये मैराथन दौड़।
- ग्रामीण क्षेत्र की महिला मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिये हर छठ एवं तीज के पर्व पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम।
- वृद्ध मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायतों में दिनांक 2 अक्टूबर 2018 को वृद्धजनों का सम्मान कार्यक्रम।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेटन रिले।
- ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक करने हेतु ग्रामोत्सव का आयोजन साथ ही वी.पी.पैट का प्रदर्शन।
- मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने हेतु जानकी गौड़ एवं श्रेया अग्रवाल का जिला आइकॉन के रूप में चयन।
- किन्नर समुदाय के मतदाताओं के बीच मतदाता जागरूकता कार्यक्रम।
- सेना क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों के बीच मतदाता जागरूकता कार्यक्रम।

इसी अनुक्रम में विधानसभा निर्वाचन 2018 "आपका वोट-आपकी ताकत" आदि पर आधारित ब्राण्डिंग सामग्री यथा बैजेज, टी शर्ट, कैप एवं एयर पोर्ट पर लगेज टैग तथा विभिन्न क्षेत्रों में एल.ई.डी., विभिन्न चौराहों पर मतदाता जागरूकता के फ्लेक्स एवं पोस्टर आदि लगाये जाकर तथा दीपावली के पर्व पर मिष्ठान भंडारों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के स्लोगन के स्टीकर आदि का उपयोग कर युवा, वृद्धजन, दिव्यांग, शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं सभी को मतदान के प्रति जागरूक करने के प्रयास, विगत विधानसभा निर्वाचन के 64 प्रतिशत मतदान को बढ़ाकर विधानसभा निर्वाचन-2018 में 78 प्रतिशत करने की दिशा में सार्थक सिद्ध होंगे। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि 18 से अधिक आयु के मतदाता अपने घरों से निकलकर अधिक से अधिक अपने मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करें। जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत संपादित गतिविधियों का मैपशॉट के रूप में लाँच किया गया है।

==

विधानसभा चुनाव 2018 में 538 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिये

भोपाल : बुधवार, 14 नवम्बर, 2018। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद 2 से 9 नवम्बर, 2018 तक नामांकन पत्र जमा हुये। जमा नामांकन-पत्रों की रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 12 नवम्बर को संवीक्षा किये जाने के बाद 578 नामांकन पत्र निरस्त हुये। 14 नवम्बर को नाम वापसी के दिन अभी तक प्राप्त जानकारी अनुसार 538 प्रत्याशियों ने विधानसभा चुनाव से अपना नाम वापस लिये है। अब विधानसभा चुनाव में प्राप्त जानकारी अनुसार 2932 प्रत्याशी मैदान में है।

प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2018 में 538 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिये, श्योपुर जिले में 5, मुरैना में 14, भिण्ड में 14, ग्वालियर में 12, दतिया में 6, शिवपुरी में 9, गुना में 10, अशोक नगर में 12, सागर में 26, टीकमगढ़ में 14, छतरपुर में 29, दमोह में 9, पन्ना में 6, सतना में 22, रीवा में 5, सीधी में 4, सिंगरौली में 2, शहडोल में 4, अनूपपुर में 3, कटनी में 6, जबलपुर में 19, डिंडोरी में 4, बालाघाट में 11, सिवनी में 10, नरसिंहपुर में 3, छिंदवाड़ा में 21, बैतूल में 10, हरदा में 2, होशंगाबाद में 7, रायसेन में 9, विदिशा में 15, भोपाल में 17, सीहोर में 16, राजगढ़ में 6, आगर-मालवा में 4, शाजापुर में 9, देवास में 14, खंडवा में 6, बुरहानपुर में 4, खरगोन में 20, बड़वानी में 9, अलीराजपुर में 3, झाबुआ में 17, धार में 17, इन्दौर में 14, उज्जैन में 26, रतलाम में 10, मंदसौर में 16 और नीमच जिले में 7 लोगों ने अपना नामांकन-पत्र वापस लिया है।

विधानसभा चुनाव में नामांकन निरस्त होने और नाम वापस लेने के बाद शेष जिलेवार प्रत्याशी, श्योपुर में 26, मुरैना में 90, भिण्ड में 122, ग्वालियर में 89, दतिया में 34, शिवपुरी में 75, गुना में 47, अशोक नगर में 46, सागर में 110, टीकमगढ़ में 84, छतरपुर में 92, दमोह में 55, पन्ना में 37, सतना में 135, रीवा में 158, सीधी में 66, सिंगरौली में 44, शहडोल में 41, अनूपपुर में 41, उमरिया में 20, कटनी में 55, जबलपुर में 114, डिंडोरी में 15, मण्डला में 33, बालाघाट में 88, सिवनी में 51, नरसिंहपुर में 37, छिंदवाड़ा में 85, बैतूल में 56, हरदा में 20, होशंगाबाद में 50, रायसेन में 53, विदिशा में 62, भोपाल में 120, सीहोर में 49, राजगढ़ में 48, आगर-मालवा में 17, शाजापुर में 30, देवास में 52, खंडवा में 34,

बुरहानपुर में 17, खरगोन में 54, बड़वानी में 26, अलीराजपुर में 13, झाबुआ में 24, धार में 52, इन्दौर में 97, उज्जैन में 66, रतलाम में 40, मंदसौर में 39 और नीमच जिले में 23 प्रत्याशी रहे ।

प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा चुनाव 2018 सर्वाधिक प्रत्याशी 158 रीवा जिले में और सबसे कम प्रत्याशी 13 अलीराजपुर जिले में है।

==

जनसम्पर्क विभाग
मध्यप्रदेश शासन
जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
mpinfo.org | dprmp.org | mpnewsarch.org
Follow us: /jansampark.madhyapradesh @jansamparkMP jansamparkMP